**मान्नीय उच्च न्यायलय उत्तराखण्ड**

**प्रथम जमानत याचिका सं0 2247/2020**

याचिका कर्ता– लोकेश कुमार

बनाम्

उत्तराखण्ड राज्य

द्वारा मान्नीय न्यायमूर्ति आर0सी0 खुल्बे

1. अभियुक्त लोकेश कुमार द्वारा मु0अ0सं0 0061/2020 अंतर्गत धारा 8/22 NDPS ACT थाना कलेमेंट टाउन में जमानत चाहने बाबत उक्त याचिका मान्नीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है, कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है उक्त अपराध में अभियुक्त फंसाया गया है, उक्त अपराध में अदिनांक 18.09.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मामले का कोई स्वतंत्र गवाह पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं है, पहले से ही वाहन सं0 UK 07 DP 1962 के विषय में सूचना होने पर भी धारा 42 NDPS ACT एवं धारा 100 जा0 फौ0 के प्रावधानों का पुलिस द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। पुलिस पार्टी के पास पर्याप्त समय की उपलब्धता होने पर भी उनके द्वारा सूचना अभिलिखित नहीं कराई गई, न ही सक्षम न्यायलय से वारण्ट प्राप्त किया गया, जिस कारण मान्नीय उच्चतम न्यायलय की नज़ीर **"बूटा सिंह बनाम् हरियाणा राज्य** AIR 2021 SC 1913'' को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त जमानत का हकदार है।

3. इसके विरोध में विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा वाणिज्यिक मात्रा की परिभाषा साझा करते हुए अभियुक्त को जमानत न दिये जाने का आग्रह किया गया।

4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीशीलन किया।

5. जहॉ तक धारा 42 NDPS ACT के अनुपालन का प्रश्न है, मान्नीय उच्चतम न्यायलय ने अपनी नज़ीर **राजस्थान राज्य बनाम् जगराज सिंह 2016 11 SSC 687** में यह स्पष्ट किया है कि उक्त धारा का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना निहित है जब भी मामले से संबंधित वाहन निजि श्रेणी का हो।

6. मान्नीय उच्चतम न्यायलय द्वारा **बूटा सिंह बनाम् हरियाणा राज्य** में यह भी उल्लेखित है कि निजी वाहन धारा 43 NDPS ACT में दी गई सार्वजनिक स्थानों की व्याख्या में कतई नहीं आता है।

7. यह तो सर्वविदित है कि मान्नीय उच्चतम न्यायलय की नज़ीर से संपूर्ण भारत के सभी न्यायलय बाधित है। इसी आधार पर मामले के तथ्यों को विचार करने पर फर्दबरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि जब पुलिस पार्टी अपनी गश्त पर थी, उन्हें मुखबिर द्वारा उक्त वर्जित वस्तु के अभियुक्त द्वारा अपने उपरोक्त सं0 के निजि वाहन में लाये जाने की सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुॅच कर पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे उसके विधिक अधिकारों के बारे में सूचित किया गया तत्पश्चात् उपनिरीक्षक विकास रावत ने क्षेत्राधिकारी श्री अंकुश मिश्रा से फोन के माध्यम से संपर्क किया और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुॅचे। अभियुक्त की तलाशी ली गई और उक्त वर्जित वस्तु अभियुक्त के बैग से प्राप्त हुई किंतु जानाकारी के पश्चात् भी न ही पुलिस पार्टी द्वारा किसी सूचना को अभिलेखित किया गया और न ही तलाशी वारण्ट प्राप्त किया गया।

8. मान्नीय उच्चतम न्यायलय की नज़ीर **हरियाणा राज्य बनाम् जरनैल सिंह 2009 85 SCC 539** में यह उल्लेखित है कि यदि कोई सूचना तब प्राप्त हो जबकि सूचना प्राप्त करने वाला अधिकारी थाने में मौजूद न हो, गश्त पर हो इत्यादि और उसे सूचना मोबाइल या किसी अन्य जरिये से प्राप्त हुई हो और प्राप्त सूचना पर अविलम्ब कार्यवाही करना आवश्यक हो ताकि देरी होने से साक्ष्यों व वस्तु को निष्कासित अथवा नष्ट न कर दिया जाय, यह तर्कसंगत नहीं होगा कि ऐसा अधिकारी ऐसी सूचना या जानकारी अभिलेखित करें,

वह धारा 42 उपधारा 1 के उपखण्ड (अ) से (घ) तक नियमित वचनों पर कार्यवाही कर सकेगा किंतु तत्पश्चात् जैसे ही तर्कसंगत हो उक्त सूचना अभिलेखित करेगा और अपने उच्चाधिकारी को भी सूचित करेगा।

9. धारा 42 NDPS ACT का शीर्षक वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति है, जिसकी शब्दावली से ही अधिकारी को उक्त सभी कृत्य कारित करने की शक्ति प्राप्त होती है।

10. इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त मामले में प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी के अनुसार गिरफ्तारी करने वाली पार्टी ने किसी सूचना को अभिलेखित नहीं किया किंतु पत्रावली के अनुसार अपने उच्चाधिकारी क्षेत्राधिकारी को त्वरित मो0 नं0 8126372169 पर सूचित किया जो मौके पर पहुॅचे। अभियुक्त की तलाशी क्षेत्राधिकारी के समक्ष की गई।

11. मान्नीय उच्चतम न्यायलय की नज़ीर **बूटा सिंह बनाम् हरियाणा राज्य** को अगर देखा जाय तो उस मामले में पुलिस पार्टी ने स्वयं ही अभियुक्त एवं उसके वाहन की तलाशी कारित की थी, जबकि वर्तमान मामले में क्षेत्राधिकारी को बुलावाकर उसके समक्ष तलाशी की गई।

12. प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि तलाशी क्षेत्राधिकारी के समक्ष की गई जो एक राजपत्रित अधिकारी है, जिस कारण यह माना जा सकता है कि तलाशी NDPS ACT एवं जा0फौ0 के अनुपालन में ही संचालित की गई थी।

13. यह साक्ष्य का विषय है कि क्या धारा 42 NDPS ACT की उक्त मामले में पूर्ण अवहेलना की गई, किंतु प्रथम दृष्टया मामले में तलाशी उच्चाधिकारी समक्ष होना एवं बरामद वर्जित वस्तु वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी अंतर्गत होना स्पष्ट है।

14. अतं में मान्नीय उच्चतम न्यायलय की नज़ीर **भारत संघ बनाम् राम समुझ 1999 (9) SCC 429** के पद सं0 7 में जो निम्नलिखित तथ्य अवलोकित है–:

"यह ध्यान में रखना अतिआवश्यक है कि उपरोक्त शासनादेश माने जाने एवं पालन किये जाने के लिए हैं, किंतु यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो व्यक्ति हत्या कारित करता है वह केवल एक या दो पुरूषों के विरूद्ध अपराध करता है किंतु मादक दृव्यों/पदार्थ का व्यापार करने वाला व्यक्ति एक शस्त्र बन जाता है जो सामूहिक तौर पर मासूम व्यक्तियों की हत्या कारित करने का जिम्मेदार हो सकता है, जो निश्चित तौर पर अधिक जघन्य है" को भी मामले के अवलोकन में देखना होगा।

15. उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार करने वर्तमान मामले की परिस्थितियों का विश्लेषण करने एवं मान्नीय उच्चतम न्यायलय द्वारा उपरोक्त नज़ीर में प्रदत्त विधि को देखते हुए इस अवस्था पर अभियुक्त को जमानत देना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है।

16. हालांकि यह स्पष्ट रहे कि मामले में इस अवस्था तक किये गये अवलोकन मात्र जमानत याचिका के निस्तारण तक सीमित हैं मामले के गुणात्मक परीक्षण पर इनका कोई प्रभाव प्रतिबिंबित नहीं होगा।

17. अभियुक्त के दिनांक 18–09–2020 से न्यायिक अभिरक्षा में होने से परीक्षण प्रक्रिया की गति बढ़ाने के निर्देश दिये जाते है।

18. लगायत लंबित याचिका यदि कोई हो तो निस्तारित की जाती है।

(आर0सी0खुल्बे जे0)
17–08–2021